

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

का.आ. 26(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण)  
अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1002(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, लक्ष्मीप तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. प्रशासक सह-सचिव,             | अध्यक्ष    |
| ( पर्यावरण और बन),              |            |
| लक्ष्मीप संघ राज्य क्षेत्र,     |            |
| कावारति।                        |            |
| 2. उप बन संरक्षक,               | सदस्य      |
| कावारति।                        |            |
| 3. अधीक्षण इंजीनियर,            | सदस्य      |
| लक्ष्मीप लोक निर्माण विभाग,     |            |
| कावारति।                        |            |
| 4. डा. एम.बाबा,                 | सदस्य      |
| निदेशक या उनके प्रतिनिधि,       |            |
| सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज,    |            |
| थिरुवानन्तपुरम।                 |            |
| 5. निदेशक,                      | सदस्य      |
| केन्द्रीय सामुद्रिक,            |            |
| मत्स्य अनुसंधान संस्थान,        |            |
| कोचीन।                          |            |
| 6. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक,   | सदस्य      |
| अंडमान लक्ष्मीप बंदरगाह संकर्म, |            |
| जल, भूतल परिवहन मंत्रालय,       |            |
| पीट ब्ल्यूर।                    |            |
| 7. सदस्य-सचिव,                  | सदस्य-सचिव |
| प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,         |            |
| लक्ष्मीप।                       |            |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की व्यालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्ष्मीप संघ राज्यक्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपरामन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्ष्मीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सीजैडएमपी) में व्याकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की

जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निर्देशित करना :

परन्तु इस उप-पैसा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा I के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैसा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवादों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे लक्ष्मीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबन्ध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V और VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के

अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य  
रौप्या यथा है, निर्देशित करने के पूर्व आगे सिफारिशों करेगा।

- IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन  
सुनिश्चित करेगा, जो लक्षद्वीप के अनुमोदित तटीय जोन  
प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।
- X. प्राधिकरण वह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों  
के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य  
उपस्थित रहते हैं।
- XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में  
कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण  
को प्रस्तुत करेगा।
- XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार  
के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।
- XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारति में स्थित होगा।
- XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और  
कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के  
प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत  
बैंक में खाता खोलेगा।
- XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता  
के भीतर विनिर्दिष्ट: न आर्ने वाला कोई विषय संबंधित  
कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-३]

डॉ. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव